



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 19 फरवरी, 2026 ई०

माघ 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्या- 111/XVII-B-1/2026-05(01)2025 ई-36779

देहरादून, 19 फरवरी, 2026

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या-288/XVII-B-1/2025-05(01)2025, दिनांक 13 मई, 2025 के द्वारा हज समिति अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या-35/2002) की धारा-18 के प्रावधानानुसार उत्तराखण्ड राज्य हज समिति को पुनर्गठित करते हुए विभिन्न श्रेणियों में सदस्यों को नामित किया गया है।

2- तत्क्रम में श्री राज्यपाल, एतद्वारा हज समिति अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या-35/2002) की धारा-21 की उपधारा (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री खतीब अहमद पुत्र श्री अजीज अहमद, सिसैया, सितारगंज, जनपद ऊधमसिंहनगर को उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में 'अध्यक्ष' के पद पर नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा-21 की उपधारा (4) के प्रावधानानुसार उक्तानुसार नामित 'अध्यक्ष' की पदावधि 03 वर्ष की होगी।

आज्ञा से,

डॉ० पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव।